प्रेस विज्ञप्ति

25.04.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स व्यूनाउ ग्रुप ऑफ कंपनीज से संबंधित धन शोधन मामले के संबंध में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है, जिसमें मेसर्स व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड, मेसर्स व्यूनाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ज़ेबाइट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ज़ेबाइट रेंटल प्लैनेट प्राइवेट लिमिटेड; सुखविंदर सिंह खरौर (व्यूनाउ समूह के सीईओ), डिंपल खरौर, आरिफ निसार और मेसर्स खरौर फिल्म एलएलपी, जो सुखविंदर सिंह खरौर और उनकी पत्नी डिंपल खरौर के स्वामित्व वाली इकाई है। अभियोजन शिकायत (पीसी) 24.04.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जालंधर के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दायर की गई है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने 25.04.2025 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है।

ईडी ने गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) पुलिस और पंजाब पुलिस द्वारा बीएनएस, 2023 के प्रावधानों के तहत दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की और उसे आगे बढ़ाया।

ईडी की जांच से पता चला है कि व्यूनाउ ग्रुप के सीईओ और संस्थापक सुखविंदर सिंह खरौर ने अन्य आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं के साथ मिलकर कई हजार करोड़ रुपये का 'क्लाउड पार्टिकल घोटाला' किया, जिसमें आम जनता (निवेशकों) की गाढ़ी कमाई को आरोपी व्यक्तियों ने अपने निजी लाभ के लिए हड़प लिया। बिक्री और लीज बैक मॉडल (एसएलबी मॉडल) पर आधारित क्लाउड पार्टिकल का अंतर्निहित व्यवसाय मूल रूप से अस्तित्वहीन पाया गया और निवेशकों को धोखा देने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया। यह भी पता चला है कि ऐसे ग्राहकों की संख्या नगण्य थी जिन्होंने व्यूनाउ ग्रुप से क्लाउड पार्टिकल्स किराए पर लिए थे, इसके अलावा इन ग्राहकों से एक लाख से भी कम किराया प्राप्त हुआ था। कुल मिलाकर, व्यूनाउ ग्रुप के पूरे व्यवसाय को केवल एक पैसे को घूमाने की स्कीम पाया गया।

क्लाउड पार्टिकल्स की बिक्री के बदले निवेशकों से एकत्र की गई कुल धनराशि 3700 करोड़ रुपये (लगभग) पाई गई, जिसमें से 1800 करोड़ रुपये (लगभग) निवेशकों को किराए के रूप में वापस कर दिए गए और अपराध की शेष राशि का उपयोग व्यापारिक उद्देश्यों के अलावा अन्य कार्यों में किया गया तथा मेसर्स वीएमएसएल और समूह की कंपनियों द्वारा चैनल भागीदारों को उच्च कमीशन देने, विभिन्न शानदार वाहनों, सोने और हीरे की खरीद, फर्जी संस्थाओं के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये की धनराशि को इधर-उधर करने और संपत्तियों में निवेश करने में किया गया।

इससे पहले, 26.11.2024, 17.01.2025 और 24.02.2025 को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत मेसर्स व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं के विभिन्न परिसरों में तलाशी भी ली गई थी। 06.02.2025 के अनंतिम कुर्की आदेश के तहत 178.12 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्तियां कुर्क की गईं। जांच के दौरान आरोपी सुखविंदर सिंह खरौर और डिंपल खरौर को 28.02.2025 को गिरफ्तार किया गया और आरिफ निसार को 24.02.2025 को गिरफ्तार किया गया और सभी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच जारी है।